

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ.17(ई)()ग्राविप/प्रशा.2/बी.एफ.सी./09-10/980

जयपुर,दिनांक:25-03-13

: आ दे श :

विभागीय आदेश क्रमांक 2610 दिनांक 31.08.2012, 2611 दिनांक 31.08.2012 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 3815 दिनांक 24.12.2012 द्वारा विभाग मुख्यालय/जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों में नवीन पद सृजित किये गये थे, के क्रम में विभाग मुख्यालय/जिला परिषद/पंचायत समिति कार्यालयों में पूर्व में स्वीकृत पदों के पदनाम तथा जी.पी. में परिवर्तन के साथ-साथ निम्नानुसार पद नवसृजित किये जाते :-

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान/ पे-बेण्ड	नव सृजित पद	पूर्व सृजित पद	कुल	विशेष विवरण
1.	पंचायत प्रसार अधिकारी	9300-34800 GP 3200	750	-	750	ग्राम सेवक से 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद है।
2.	समन्वयक (प्रशिक्षण)	9300-34800 GP 2800	54	-	54	-
3.	समन्वयक (आईईसी)	9300-34800 GP 2800	44	-	44	-
4.	समन्वयक (पर्यवेक्षण)	9300-34800 GP 2800	50	-	50	-
5.	अकाउन्ट्स असिस्टेंट	9300-34800 GP 2800	1436	434	1870	विभागीय आदेश क्रमांक 2610 दि. 31.08.12 द्वारा सृजित कनिष्ठ लेखाकार का पदनाम भी अकाउन्ट्स असिस्टेंट व GP 2800 किया जाता है।
6.	कम्प्यूटर अनुदेशक (पं.रा.)	9300-34800 GP 2800	177	33+249 =282	459	विभागीय आदेश क्रमांक 2610 दि. 31.08.12 व संशोधित आदेश 3815 दि. 24.12.12 द्वारा सृजित सहायक प्रोग्रामर का पदनाम भी कम्प्यूटर अनुदेशक (पं.रा.) व GP 2800 किया जाता है।
7.	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200 GP 1900	2233	22+165+996+ 18354= 19537	21770	-
8.	सहायक कर्मचारी	4750-7440 GP 1300	249	249	498	-
	योग		4993	20502	25495	

उक्त पदों का अलग-अलग कार्यालयों/पंचायती राज संस्थाओं हेतु वर्गीकरण अलग से किया जावेगा।

जिला परिषद हेतु-

मांग संख्या-41

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 - जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(01) - तदर्थ सहायता

[01] - संस्थापन

12 - सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (आयोजना भिन्न)

निरन्तर.....2.....

पंचायत समिति हेतु-

मांग संख्या-41

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197 - ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(01) - तदर्थ सहायता

[01] - संस्थापन

12 - सहायतार्थ अनुदान (संवैतन) (आयोजना भिन्न)

- (i) उक्त नवीन सृजित पदों में से सीधी भर्ती के पदों की भर्ती विभागीय नियमों के अनुसार की जावेगी।
- (ii) उक्त सृजित पदों पर नियुक्त किये जाने वाले कार्मिकों को नरेगा योजना में प्रतिनियुक्ति किया जावेगा।
- (iii) यह स्वीकृति वित्त विभाग की I.D. संख्या 101300622 दिनांक 28.02.2013 एवं 101301106 दिनांक 14.03.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्री मण्डल सचिवालय, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी (मुख्यालय)
13. विशेषाधिकारी, वित्त(व्यय-5) विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 101300622 दिनांक 28.02.2013 एवं 101301106 दिनांक 14.03.2013 के अनुसरण में।
14. समस्त जिला कलेक्टर
15. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय)
16. समस्त मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
17. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
18. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल
19. सहायक लेखाधिकारी, बजट (मुख्यालय)
20. संबंधित संस्थापन लिपिक (मुख्यालय)
21. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त